

शांति भंग करने के 14 आरोपी गिरफ्तार :-

पुष्पेन्द्र सिंह हैड कानि० श्री रामस्वरूप पुत्र रामसहाय जाति रैगर उम्र 45 साल निवासी सलेमपुर थाना सदर गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

वीरेन्द्र सिंह हैड कानि० थाना बामनवास ने श्री मन्जुर पुत्र श्री हनीफ खॉ उम्र 30 साल निवासी बहतेड थाना मलारनाडुगर जिला स.मा., श्री मुकेश पुत्र श्री अतरसिंह जाति गुजर उम्र 27 साल निवासी शाहपुरा थाना बयाना जिला भरतपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

हनुमान प्रसाद हैड कानि० थाना बाटौदा ने 1. हेमराज पुत्र धनसुख उम्र 33 साल जाति माली 2. सत्यनारायण पुत्र रामकिशोर उम्र 25 साल जाति माली निवासीयान बाढ नेहरी थाना बाटौदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

मुरारी लाल हैड कानि० थाना वजीरपुर ने 1. श्री फारूख पुत्र फट्टल 2. नाहरसिंह पुत्र रमसी 3. इरफान पुत्र एलकार 4. विशाल पुत्र कैलाश मीना निवासीयान जीवली थाना बजीरपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

अजीत सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना बीकला ने श्री अक्षय पुत्र सीताराम खटीक उम्र 21 साल निवासी बालेर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

फैयाज खान हैड कानि० थाना सूरवाल ने नरेश पुत्र सुन्दरलाल जाति जाट उम्र 42 साल निवासी फूसैदा थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

रामवतार हैड कानि० थाना मलारना डूंगर ने श्री हारून पुत्र रहमत अली जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी दौनायचा थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

रामवीर सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना चौथ का बरबाडा ने 1. विजय पुत्र श्री रामकुमार जाति मीना उम्र 23 साल निवासी डी-182 तारा नगर जयपुर, 2. अनिल पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट उम्र 20 साल निवासी श्रीमाधोपुर थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

पप्पूलाल हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री सोनू उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रुपसिंह जाति गुर्जर उम्र 36 साल निवासी जटवाडा खुर्द थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते आरोपी गिरफ्तार:-

महेश्वर लाल स०उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री जुगनू पुत्र सूरज जाति बावरी उम्र 18 साल निवासी कच्ची बस्ती झूले के नीचे थाना मानटाउन को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर उत्पाते मचाते 10 आरोपी गिरफ्तार:-

महेश्वर लाल स०उ०नि० थाना मानटाउन ने किशन पुत्र श्री घनश्याम जाति बावरी उम्र 19 साल निवासी कच्ची बस्ती झूले के नीचे थाना मानटाउन स०मा० 02. श्री शंकरलाल पुत्र फूलचन्द जाति मीना उम्र 26 साल निवासी बन्धा थाना सूरवाल 03. श्री पप्पू पुत्र बजरंगलाल मीना उम्र 40 साल निवासी डेकवा थाना कोतवाली को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

राकेश कुमार स०उ०नि० थाना गंगापुर सिटी ने 1. हरिमोहन पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी रामपुरा थाना सदर गांगपुरसिटी 2. सूरजमल पुत्र बदरी जाति प्रजापत उम्र 47 साल निवासी तालवृक्ष थाना सदर गांगपुरसिटी 3. हनुमान पुत्र कन्हैयालाल जाति पांचला निवासी दुलारावजी थाना जमवारामगढ जिला जयपुर 4. दीपक पुत्र महेश चंद जाति पांचाल उम्र 28 साल निवासी गलता गेट जयपुर, 5. जीतू पुत्र लक्ष्मीनारायण पांचाल निवासी दशहरा मैदान गांगपुरसिटी, 6. मानसिंह पुत्र कमल सिंह जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी गुर्जर मोहल्ला गांगपुरसिटी, 7. दामोदर पुत्र गिर्राज प्रसाद महाजन निवासी गांगपुरसिटी, 8. लक्ष्मीचंद पुत्र केदार लाल निवासी चौकीदार मोहल्ला गांगपुरसिटी को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

अबैध शराब रखने के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

राकेश कुमार सोनी स०उ०नि० थाना गंगापुर सिटी ने फजलुददीन पुत्र कमरुददीन जाति मुसलमान निवासी रेल्वे कोलोनी गांगपुरसिटी को अबैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी गश्त के दौरान लोको नाला शमशान के पास गांगपुरसिटी में 60 पब्बे देशी शराब बेचते हुआ पाया गया। आरोपी से लाइसेंस के बारे में पूछा तो संतापजनक जबाब नही दिया। अतः आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 734/17 u/s 19/54 excise act में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

मदन सिंह हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर ने कमलेश पुत्र घासी जाति खटोक उम्र 35 साल निवासी पांचोलास थाना रवाजना डूंगर को अबैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी गांव पांचोलास में 48 पब्ले देशी शराब बेचता हुआ पाया गया। आरोपी से लाइसेंस के बारे में पूछा तो संतोषजनक जबाब नहीं दिया। अतः आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मु०नं० 198/17 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

अवैध हथियार रखने के 01 आरोपी गिरफ्तार :-

अजीत सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना बी०कला ने गोकुल पुत्र दयाल मौग्या उम्र 50 साल निवासी घोडी कच्छ थाना बी०कला को अवैध एक टोपीदार बन्दूक रखने के आरोप में थाना चौथ का बरबाडा पर मु० नं० 77/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बागौरा रौड बालेर मे दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

दर्ज मुकदमात के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

रूपसिंह स०उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने दर्ज मुकदमात के आरोपी श्री मनोज पत्र पृथ्वीराज जाति मीना उम्र 28 साल निवासी चकेरी थाना मलारना डूंगर जिला स०मा० को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि राजन्ती पत्नी पृथ्वीराज मीणा निवासी चकेरी ने दिनांक 06.10.17 को आरोपी के विरुद्ध थाना मलारना पर मु०नं० 236/17 U/S 323,341,326 IPC में मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

गजानन्द उ०नि० थाना कोतवाली ने दर्ज मुकदमात के आरोपी श्री ईश्वर सिंह उम्र 18 साल व रघुवीर सिंह उम्र 25 साल पुत्रान श्री जुगराज सिंह जाति गुजर निवासी विज्ञान नगर आरटों रोड को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि मदनलाल पु०नि० थानाधिकारी महिला थाना ने दिनांक 25.10.17 को आरोपियान के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु०नं० 587/17 धारा 143, 332,353,324 आईपीसी में मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

दहेज प्रताडना का आरोपी गिरफ्तार :-

अजीत सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना बीकला ने श्री भरतु उर्फ भरतलाल पुत्र सुरज्ञान गुर्जर उम्र 29 साल निवासी दुमोदा को दहेज प्रताडना के आरोप में गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आरोपियान के विरुद्ध फूलचन्द पुत्र गोकुल गुर्जर निवासी करेरा थाना बी०कला ने दिनांक.05.05.2016 को मु० नं० 33/16 धारा 498ए,406,323,342 आईपीसी थाना बी०कला पर दहेज प्रताडना के सम्बन्ध में थाना बाटौदा पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी